



कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा



आवासीय/व्यवसायिक/अन्य प्रयोजनार्थ के लिये भूमि पट्टा-विट्टेरा

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1958 की धारा 90 (ख) के प्रावधानों के अन्तर्गत पुनः आवंटित भू-खण्ड का उपयोग होगा।

यह इकरारनामा जो आज दिनांक 10/04/2015 को, आवंटन क्रमांक 02 सन. 2015 को राजस्थान राज्य के राज्यपाल जिन्हें इसके पश्चात् सरकार कह कर सम्बोधित किया गया है और दूसरी ओर श्री/श्रीमति जससा सिर अहलवालिया एड्युकेशन सोसायटी एंड क्लब एंड म्यूजिकियन सोसायटी जयसचिव जसजीत सिंह वालिया 5/6 मनमोहन सिंह जाति सिरख व्यवसाय निवासी केम्पस 31 सीडजी स्वीट रावतभारा रोड कोटा

(जिनको इसमें इसके पश्चात् पट्टेदार कह कर सम्बोधित किया गया है और इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधी और मुन्तकील अलैह भी सम्मिलित होंगे।) के बीच लिखा गया है।

इस बात का साक्षी है कि रूपये 252417/- अक्षरे दो लाख बावन हजार चार सौ सत्तर रूपये मात्र की रकम में नियमन शुल्क जो पट्टेदार द्वारा अदाकर दिया गया है (और जिसकी रसीद सरकार इसके द्वारा स्वीकार करती है।) और इसमें उल्लिखित शर्तों और करारों जो पट्टेदार द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जावेंगे, के एवज में सरकार इसके द्वारा पट्टेदार को जमीन का वह तमाम प्लॉट (जो इसके बाद उक्त भूखण्ड कह कर सम्बोधित किया गया है) नियमन और पुनः आवंटित करती है। जो गृह निर्माण समिति की एकल पट्टा शिपपुरा योजना में स्थित है और जो अपनी सीमाओं और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में पूर्ण रूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में दिखलाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबन्धी स्वत्वों सहित किन्तु विन्मालिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों संरक्षणों, प्रतिबन्धों, वैध शर्तों और करारों के अधीन पट्टेदार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात् -

1. उक्त भूखण्ड नगरीय कर के आधार पर लीज होल्ड पर पुनः आवंटित किया गया है। लीज की अवधि 99 वर्ष होगी।
2. (अ) पट्टेदार नगर विकास न्यास, कोटा के कार्यालय में या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत अन्य स्थान पर प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भू-खण्ड के संबन्ध में नियमन दर 252417/- रूपये प्रतिवर्ग गज की दर से कुल राशि 252417/- रूपये की 2.5: की दर से नगरीयकर जमा करायेगा। निर्धारित तिथी तक जमा नही करने की दशा में नियमानुसार देय ब्याज राशि वसूल की जावेगी। 31 मार्च से पूर्व अग्रिम नगरीय कर जमा कराने पर नियमानुसार छूट भी देय होगी।
(ब) दस वर्ष की अग्रिम नगरीय कर एक मुश्त जमा कराने पर लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र प्रदत्त किया जावेगा। साथ ही राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प-5 (2) न.वि.वि. /3/99 दिनांक 15/11/99 के अनुसार नगरीय कर आरक्षित दर के बजाय केवल नियमन राशि 252417/- रूपये की 2.5: प्रति वर्ष की दर से देय होगा।
3. नगरीय कर की निर्धारित धनराशि में प्रत्येक 15 वर्ष व्यतीत होने के तुरन्त पश्चात् तथा प्रत्येक हस्तान्तरण पर 25: उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। 15 वर्ष की अवधि आवंटन पत्र जारी होने की तिथी में संगणित की जायेगी।
4. उपरोक्त तारीख तक किसी रकम या परिवर्धित रकम या उसके किसी अंश की जो नगरीय कर के कारण बाजिब हो, अदायगी करने पर सरकार ऐसी रकम या उसके अंश को भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत वसूल करने के लिये सक्षम होगी।
5. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल जारी किये गए प्रयोजनार्थ किसी भवन या भवनों के बनवाने में ही होगा। भूखण्ड का आवंटन से भिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया जा सकेगा। निर्मित भूखण्ड के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक पर 5(3) न. वि.वि./3/99 दिनांक 10/07/99 द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों में प्रदत्त शिथिलता के तहत नियमन योग्य निर्माण ही नियमित किया गया है तथा नियमन अयोग्य निर्माण के संबन्ध में सम्बन्धित विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि भूखण्ड 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक का रिक्त है तो उस पर निर्माण आवंटन पत्र के आधार पर किया जा सकता है एवं सेट बैक साइट प्लान के अनुसार छोड़ने होंगे तथा न्यास के बिल्डिंग बाईलाज के अनुसार निर्माण किया जाना होगा। इसके लिए भूखण्ड धारक द्वारा प्रस्तावित निर्माण के लिये निर्धारित आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
7. यदि भूखण्ड 500 मीटर से अधिक क्षेत्रफल का है तो उस पर निर्माण न्यास से भवन के नक्शे को नियमानुसार पास करवा कर कराना होगा।

नगर विकास न्यास
कोटा (राज.)

- भूखण्ड का हस्तांतरण नगर विकास न्यास की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं कराया जा सकेगा।
- आवंटी द्वारा भूखण्ड विक्रय करने पर क्रेता द्वारा भूखण्ड का हस्तांतरण न.वि. न्यास, कोट के नियमों के अनुसार न्यास से करवाना होगा।
 - पट्टेदार उक्त भूखण्ड या उस पर बनाये गये भवन या भवनों के किसी भाग को किसी ऐसे आशय के लिये जो पिछले पद में निर्दिष्ट आशय के असंगत है बिना सरकार या सरकार के ऐसे अधिकारी की लिखित स्वीकृति के, जो एतदर्थ नियुक्त किया गया हो, न तो उपयोग में लावेगा और न उपयोग में लाने की अनुमति देगा।
 - पट्टेदार द्वारा आवंटन पत्र की शर्तों एवं पट्टे की उपरोक्त शर्तों की पूर्ण पालना की जावेगी। यदि किसी भी शर्त या शर्तों का उल्लंघन किया गया तो उक्त भूखण्ड एवं उस बने हुए भवन, यदि कोई हो, सहित उक्त भूखण्ड बिना किसी मुआवजे की राशि के अधिग्रहण कर लिया जावेगा।

नोट :- (1) आन्तरिक विकास कार्यों की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता/कालोनाईजर की है। योजना तक बाह्य विकास हेतु नगर विकास न्यास का स्वामित्व केवल बाह्य विकास शुल्क के पेदे न्यास में जमा राशि तक ही सीमित होगा शेष दायित्व कालोनाईजर का होगा।

(11) इस भूखण्ड की विचरन राशि 252417 रुपये की पंजीकृत मूल्य राशि रु होती है अतएव स्टाम्प नं. स्टाम्प रु. संख्या बैंसियत पट्ट इसके साथ लगाये जाते हैं।

शैथिलिक प्रयोजन

कोट नगर क्षेत्र	सालगन सड्ड एलान अनुसार	सीमाएं
ग्राम शिवपुरा	पूर्व 92.87M. पश्चिम 91.11/20. भूखण्ड संख्या 13	पूर्व इ.प.व.ली (आम्रार्ज)
असरा नं. 55, 56, 91/1	उत्तर 43.97M. दक्षिण 42.53/1. कुल क्षेत्रफल 4762.59	पश्चिम व.प.व.ली - प.प.व.ली
विस्तृत माप 92.87+91.11/20+43.97+42.53	वर्गगज	उत्तर से. 66'
क्षेत्रफल 4762.59	योजना/कालोनी का नाम एकल पट्टा शिवपुरा	दक्षिण इ.प.व.ली

सरकार की और से नं. 55, 56, 91/1

आज सन् 20 15 के 4 माह के 10 वें दिन 20/2/15
श्री सक्षम अधिकारी न.वि.न्यास, कोट
ने निम्न की उपस्थिति में कोट में हस्ताक्षर किये।

प्रसिद्ध अधिकारी
(उपसचिव)
नगर विकास न्यास कोट
साक्षी के हस्ताक्षर

- साक्षी :-
- नाम श्री वी.न.कुमार शर्मा
पिता/पति का नाम राजेश कुमार शर्मा
व्यवसाय प.प.व.ली कोट
निवास स्थान
 - नाम
पिता/पति का नाम
 - नाम
पिता/पति का नाम
 - नाम
पिता/पति का नाम श्री गुरमेल सिंह
व्यवसाय
निवास स्थान Near Saras Doodh Dairy Unit Bhaty Road Kot.
 - नाम
पिता/पति का नाम श्री गुरमेल सिंह
व्यवसाय Business
निवास स्थान D-6 Shrinathpuram Kot
आज दिनांक 31/3/15 20 को

साक्षी के हस्ताक्षर

आवंटी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर



Kota Development Authority
CAD Colony , Dadabari , Kota , Rajasthan PIN: 324009
(+91-0744) 2500777, 2405000, 2500828
kotait@yahoo.com



Online Mutation/ Name Transfer Letter

S.No. : KDA/FY25-26/MUT/496

Date : 03-Jun-2025 01:17 PM

R/O:-

M/S SHRINATH EDUCATION SOCIETY TH SHYAM SHARMA S/D/W of Mr RAMCHANDRA SHARMA

Address:- 1-J-11,DADABARI,KOTA

Sub:- Regarding Mutation/ Name Transfer of plot.

Ref:- Your application no- KDA/FY25-26/MUT/496 Date 22-May-2025.

In reference to above mentioned subject it is stated that plot number Ekal Patta Block-B [Kh No. 55, 56, 91/1] area 4762.59 Square Yard situated at Ekal Patta (KH. No. 54, 55, 91/1) for Educational Land purpose is in the name of JASSA SINGH AHLUWALIA EDUCATION MEDICARE AND WELFARE SOCIETY KOTA TH JASJEET SINGH WALIA S/D/W OF MANMOHAN JEET SINGH WALIA SOLD TO SHRINATH EDUCATION SOCIETY TH SHYAM SHARMA S/D/W OF RAMCHANDRA SHARMA VIDE SALE DEED NUMBER 2015004561 DATE 29-Jul-2015 as per file number RJ1/0069/000067H Lease/Free Hold deed number 02 dated 10-Apr-2015. You have purchased/received it on 29-Jul-2015 by way of registered Sale Deed/Gift Deed/Will/Death Certificate/Relinquishment Deed (Hak Tyag). This plot is mutated/ transferred in favour of you in UIT/DA records on the same conditions which were mentioned in the original lease deed with the following additional conditions :-

1. This Mutation/ Name Transfer is being done on the basis of documents uploaded by you online and the responsibility of all such uploaded document being genuine and true lies with the applicant. In case, any uploaded document is found forged or tampered or false, the undersigned will not be liable for any action for this Mutation/ Name Transfer and the applicant will be solely responsible for such fraudulent document and offence.
2. This Mutation/ Name Transfer is done in your favour on the basis of the succession/registered sale deed/will/gift deed and no additional rights shall accrue in your favour.
3. This Mutation/ Name Transfer is for plot and the building constructed on it as per Building Bylaws and approved building plan of UIT/DA, Kota.
4. Any construction done on this plot in contravention of the Building Bylaws or approved building plan of UIT/DA is not regularized by this Mutation/ Name Transfer letter and such construction shall always be illegal and have to be removed by you within three months as per your declaration in application for Mutation/ Name Transfer, on your expenses failing which it may be removed at anytime without notice by UIT/DA and you will further be liable for legal action as provided in UIT Act 1959 and/or DA Act 2009.

Note :-

1.This Letter is digitally signed hence does not require physical signature.

2.Authenticity of this letter can be verified from UIT/DA Kota. This letter is legally valid as per the Information Technology ACT, 2000 and its subsequent amendments.

3.Tampering of this letter will attract penal action.

Signature valid

Digitally signed by Malvika Tyagi
Designation: Deputy Secretary
Date: 2025.06.03 11:51:49 IST
Reason: Approved

B. Sharm
Principal
Lzebra Girls College
Kota





परिशिष्ट



नगर विकास न्याय, कोटा

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन (नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत) भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक : 08

दिनांक: 5/10/18



यह विलेख आज वर्ष 2018 के माह 10 के 05 वे दिन / नगर सुधार न्याय, कोटा

(जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री पुस्सा सिंह अरुणवालिया एण्ड फॅमिली (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री एवज केलफर सोसायटी जयें सचिव असजीत सिंह वालिया 3/0 मनमोहन पीत सिंह वालिया मुत्र श्री जाति व्यवसाय

निवासी केम्पस 31 सिडनी स्ट्रीट शिवपुरा कोटा (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष


तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सममिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक(पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, ओर इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना रकत पट्टा (काला पट्टा)

राजस्व ग्राम शिवपुरा के खसरा संख्या 54, 55, 56, 57, 91/1

क्षेत्रफल 1.12 हे. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है ओर जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग ओर इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात:-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम(1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये एक लाख अठ्तर हजार सत् सौ सत्पचास रुपये अंके 172797/- मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक यदि चाहे तो, एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया)की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि : - पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल शैक्षणिक प्रयोजनाय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम 26 के अन्तर्गत बढा दी जावें, लीजधारक द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित अन्तरिती या उप पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की और शर्तों या किन्हीं पृथक आदेशों द्वारा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिये नगर निकाय को आवेदन के साथ



TRUE COPY ATTESTED
12-9-19
ALOK JOHRY NOTARY
KOTA (RAJ.)

राजेश 5121

रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरेण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

- 8 उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रमारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूली होगी।
- 9 यदि आबंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आबंटन या पट्टा विलेख की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन के कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आबंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।
- 10 इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/ जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/ सरकार ऋणदात्री संस्था/ एच.डी. एफ.सी अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

सांख्यिक प्रयोक्तार्य

:: परिशिष्ट :: सलंगन साईड प्लान अनुसार

कस्बे का नाम
राजस्व ग्राम शिवपुरा
खसरा नम्बर 54, 55, 56, 57, 91/1
योजना का नाम एकल पट्टा (बलाक)
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्ग
गज/ मीटर 1.862.04 वर्ग
इसके साक्षी के रूपमें इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं


पूर्व सरसदेयरी, पश्चिम बलाक सीमा उत्तर उत्तर दक्षिण श्याम नगर
(बलाक)
मानचित्र संलग्न है

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20..... के माह के वें दिन
श्री ने निम्न
की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये:


प्रथम पक्ष
नगरीय निकाय - प्रथम पक्ष
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

1 नाम : हर्प्रीत कौर
पुत्र : श्री श्याम सुन्दर कौर
व्यवसाय : पटवारी
निवास स्थान : बलाक कला
2 नाम : /
पुत्र : श्री
व्यवसाय :
निवास स्थान :



साक्षी

साक्षी

आज सन् 20..... के माह के वें दिन को
निम्नलिखित में उक्त श्री लीजधारक द्वारा
कार्यालय में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक -द्वितीय पक्ष

साक्षी :-
1 नाम : Harpreet Kaur
पुत्र : श्री J.S. walia
व्यवसाय : House wife
निवास स्थान : Near Saraj Doodh Dairy
Rawatkhata Road Kota
2 नाम : Mrs Mini Vijay
पुत्र : श्री Mr Devinder Vijay
व्यवसाय : House wife
निवास स्थान : Ext-21, Vallabh Nagar
KOTA

Harpreet Kaur
साक्षी
Mini Vijay
साक्षी



TRUE COPY ATTESTED
12-9-19
ALOK JOHRY NOTARY
KOTA (RAJ.)

1902 3117



नगर विकास न्यास, कोटा

8

भू-आवंटन पत्र

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (क) के तहत पुनः आवंटन

क्रमांक : 08

दिनांक: 5/10/18

(1) भूखण्ड धारी का नाम

जस्सा सिंह अदलुवालिया एफ.यू.के.शनल मेडिकेयर हॉस्पिटल

(2) पति/पिता का नाम

बलफेयर सोसायटी जयसिंह अदलुवालिया 3/0

(3) पता

मनमोहन जीत सिंह वालिया
कैम्पस 3) सिव्ही स्टीट रावतभारा रोड शिवपुरा कोटा

(4) भूखण्ड संख्या

एकल पट्टा (कलाकृती) क्षेत्रफल 1.862:04 वर्ग

(5) योजना का नाम

एकल पट्टा (कलाकृती) शिवपुरा

(6) सहकारी समिति का नाम

(7) जोन संख्या

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.5 (3) न.वि.वि. /3/99 दिनांक 10/07/99 व प.3 (90) न.वि.वि./3/2012 जयपुर दिनांक 21/06/2012 आवासीय/वाणिज्यिक उपयोग हेतु नियमित कर नियमन दर पर पुनः आवंटित किया जाता है। आवंटन की शर्तें निम्न प्रकार होगी:-

1. यह आवंटन 99 वर्ष की लीज पर किया जाता है।
2. यह भूखण्ड पर नियमानुसार नगरीय कर देय होगा जो कि वर्तमान में उस क्षेत्र की नियमन दर/आरक्षित दर का 2.5% 50% प्रति वर्ग गज है नगरीय कर की उक्त राशि की नियमानुसार समय-समय पर बढ़ोतरी की जा सकेगी।
3. भवन निर्माण का कार्य आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि में पूर्ण करना होगा।
4. यदि भूखण्ड 500 वर्ग मी. क्षेत्र तक का है, तो उस पर निर्माण इस आवंटन पत्र के आधार पर किया जा सकता है। जिसमें साइट प्लान के अनुसार सेट बैक छोड़ने होंगे एवं न्यास के बिल्डिंग बाइलाइन के अनुसार निर्माण किया जा सकेगा, इसके लिए भूखण्ड धारक द्वारा प्रस्तावित निर्माण के लिए निर्धारित आवंटन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
5. इस आवंटन पत्र के आधार पर उक्त भूखण्ड के सरकार/जीवन बीमा निगम/शिडयूल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एचडीएफसी/अथवा नेशनल हाऊसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए गिरवी रखा जा सकेगा।
6. साइट प्लान न्यास द्वारा अनुमोदित ले आउट प्लान के अनुसार जारी किया गया है।
7. आवंटन द्वारा सम्बन्धित नियमों, उपनियमों, राज्य सरकार/न्यास के समय-समय पर जारी होने वाले निर्देशों, निर्णयों की अनुपालना की जाएगी।
8. प्रार्थी के आवेदन अनुसार भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा निर्विवाद मानकर यह आवंटन पत्र जारी किया जा रहा है। अतः कब्जा सम्बन्धित किसी प्रकार के विवाद के लिए न्यास जिम्मेदार नहीं होगा।
9. आवंटन द्वारा भूखण्ड विक्रय करने पर क्रेता द्वारा भूखण्ड का हस्तान्तरण नगर विकास न्यास के नियमों के अनुसार न्यास से करवाना होगा।
10. यह आवंटन पत्र भूखण्ड के आवासीय/वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ है। निर्मित भूखण्ड के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक प.5 (3) न.वि.वि. /3/99 दिनांक 10/07/99 प.3 (90) न.वि.वि./3/2012 जयपुर दिनांक 21/06/2012 द्वारा भवन वाणिज्यिक विनियमों के प्रवाधानों में प्रदत्त शिथिलता के तहत नियमन योग्य निर्माण ही नियमित किया जाता है तथा नियमन आयोग निर्माण के संबंध में संबंधित विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
11. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन किये जाने पर उक्त आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।
12. भूखण्ड की लीज डीड का नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य होगा।

भूखण्ड का विवरण निम्नानुसार है :-

भूखण्ड कि लम्बाई X चौड़ाई सल्लेख साइट प्लान अनुसार
सामने () पीछे ()
साइड () () वर्ग गज

अधिकतम एफ.ए.आर. स्वीकार्य

भवन की अधिकतम स्वीकार्य ऊँचाई

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक:-

प्रतिलिपि : लेखा शाखा नगर विकास न्यास, कोटा को सूचनाार्थ एवं नगरीय कर रजिस्टर तुरंत तैयार करने हेतु।

TRUE COPY ATTESTED
12-9-18
ALOK JOHRY NOTARY
KOTA (RAJ.)

प्राधिकृत अधिकारी (विशेषाधिकारी)
नगर विकास न्यास, कोटा
दिनांक : 5/10/2018

प्राधिकृत अधिकारी (विशेषाधिकारी)
नगर विकास न्यास, कोटा



नगर विकास न्यास कोटा

प्रमाण पत्र



क्रमांक :- 08

- जस्सा सिंह अटलुवालिया एडवोकेट जनरल मैडिकेयर एंड
 डेलफेयर सोसायटी जय सचिव जसजीत सिंह वालिया ५०
1. भूस्वामी का नाम
 2. पिता / पति का नाम :
 3. भूखण्ड संख्या एकल पट्टा (बलाक सी.)
 4. योजना का नाम / ग्राम का नाम :

5. क्षेत्रफल : 1862.04 वर्ग मी.

6. वार्षिक नगरीय कर की राशि :

7 एक बारीय नगरीय कर की राशि : 1727.97/-

(कालम 6 से 10 गुणा राशि)

उपरोक्त राशि अक्षरे रूपये एक लाख अठ्ठस हजार सात सौ अठ्ठाठ्ठाठ्ठ रूपये

रसीद/चालान नम्बर 2523 दिनांक 16.3.17 द्वारा जमा कराये गये।

अतः भू आवंटन की शर्त संख्या 2 (ब) में अंकित अवधि को अवशेष अवधि के लिए

..... नगरीय कर के भुगतान से उक्त भूखण्ड को मुक्त किया जाता है।

(Signature)
उपसचिव एवं प्राधिकृत अधिकारी
नगर विकास न्यास कोटा

TRUE COPY ATTESTED
12-3-17
ALOK JOHRY NOTARY
KOTA (RAJ.)